भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2016

दिनांक 12मार्च, 2021 के लिए प्रश्न

विषय: फुट एंड माउथ डिजीज 'कंट्रोल प्रोग्राम'

2016. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फुट एंड माउथ डिजीज 'कंट्रोल प्रोग्राम' के क्रियान्वयन हेतु किन-किन राज्यों ने कितनी-कितनी राशि के विस्तृत कार्ययोजना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे हैं, गत दो वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त प्रस्तावों के संदर्भ में केंद्र सरकार ने राज्यों को कितनी धनराशि संस्वीकृत की है, और राज्यों को कितनी राशि देना शेष है?

उत्तर

मत्स्यपालन,पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री

(डॉ. संजीव कुमार बालियान)

(क) और (ख) विभाग ने वर्ष 2019-20 तक खुरपका और मुंहपका रोग-नियंत्रण कार्यक्रम (एफएमडी-सीपी) को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएचऔरडीसी) योजना के तहत एक घटक के रूप लागू किया था। वर्ष 2019-20 में,एफएमडी और ब्रूसेलोसिस के नियंत्रण के लिए एलएच और डीसी योजना के एफएमडी-सीपी और ब्रूसेलोसिस-सीपी घटकों के साथ एक केंद्रीय सेक्टर योजना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) बनाई गई थी। एफएमडीसीपी के लिए विगत दो वर्षों अर्थात् 2018-19 और 2019-20 के तहत और उसके साथ-साथ वर्ष 2019-20 में एनएडीसीपी के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित और जारी निधियों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी करने के लिए कोई निधियां लंबित नहीं हैं क्योंकि संस्वीकृत निधियों का मूल्यांकन, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकता, उपलब्ध बजट और पूर्व में जारी राशि में से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध अव्ययित शेष राशि के आधार पर किया गया था।

****

अनुबंध

(लाख रू. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2018-19 में एफएमडी- सीपी के तहत मांगा गया केंद्रीय हिस्सा	वित्तीय वर्ष 2018-19 में एफएमडी-सीपी के तहत जारी निधियां	वित्तीय वर्ष 2019-20 में एफएमडी-सीपी के तहत मांगा गया केंद्रीय हिस्सा	वित्तीय वर्ष 2019-20 में एफएमडी-सीपी के तहत जारी निधियां	वित्तीय वर्ष 2019-20 में एनएडीसीपी के तहत मांगी गई निधि	वित्तीय वर्ष 2019-20 में एनएडीसीपी के तहत जारी निधियां
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	20.00	9.80	5.00	5.00	10.77	10.77
2	आंध्र प्रदेश	3200.00	1393.60	3275.00	1300.00	10482.00	3110.99
3	अरुणाचल प्रदेश	319.42	106.22	1234.33	106.22	1045.09	70.36
4	असम	0.00	0.00	1333.33	318.71	8285.73	1563.65
5	बिहार	2625.48	1980.91	2076.03	1859.09	16560.26	2933.84
6	चंडीगढ़	5.00	4.04	6.00	0.00	14.20	3.29
7	छत्तीसगढ़	1782.38	1167.93	7683.33	0.00	7683.33	1939.32
8	दादरा और नागर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	2.93
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	1.44
10	दिल्ली	53.46	33.06	31.68	0.00	84.97	25.47
11	गोवा	8.86	8.14	8.86	5.51	95.44	22.60
12	गुजरात	2397.81	2617.23	2945.28	2346.53	7540.00	2062.30
13	हरियाणा	1118.40	927.86	1236.77	383.69	3430.00	774.11
14	हिमाचल प्रदेश	608.01	607.24	608.01	253.00	2073.37	437.32
15	जम्मू और कश्मीर	925.04	766.79	933.87	312.00	4260.91	437.75
16	झारखंड	982.08	0.00	1712.64	580.00	9874.83	1500.51
17	कर्नाटक	2111.73	1617.82	2335.06	1256.11	14237.81	1943.64
18	केरल	230.00	218.17	247.90	84.50	1540.16	236.17
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	2.00	0.37	17.34	2.83
20	मध्य प्रदेश	5521.04	2492.34	5837.80	1559.46	30177.10	4882.81
21	महाराष्ट्र	3042.72	1339.50	3420.10	2354.53	2391.84	2907.01
22	मणिपुर	92.34	74.58	0.00	0.00	214.62	55.45
23	मेघालय	207.92	207.92	377.00	113.70	1052.07	189.27
24	मिजोरम	176.40	9.04	265.95	190.67	395.05	37.75
25	नागालैंड	61.02	61.02	49.01	0.00	322.22	49.01
26	ओडिशा	1901.89	1633.90	1081.26	0.00	23308.39	2153.66
27	पुदुचेरी	20.00	11.76	17.00	0.00	110.25	17.92
28	पंजाब	1323.75	942.58		0.00	4316.61	546.55
29	राजस्थान	3091.53	2069.91	2961.75	759.76	20197.85	4075.65
30	सिक्किम	37.40	31.64	0.00	0.00	447.34	19.79
31	तमिलनाडु	1440.00	1097.30	1440.00	1062.04	3800.00	2203.03
32	तेलंगाना	1170.60	1108.40	2139.60	585.00	3353.24	3024.92
33	त्रिपुरा	520.55	216.96	1021.66	0.00	1524.48	142.86
34	उत्तर प्रदेश	7700.00	4839.57	12422.00	6360.32	35551.78	3952.70
35	उत्तराखंड	595.00	439.20	617.00	511.00	2647.73	385.93
36	पश्चिम बंगाल	3113.20	2634.94	0.00	0.00	28931.76	2827.38